फॉर्म–ए

COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, KAIMUR AT BHABHUA

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, जिला कैमूर (बिहार)

उपस्थितः–बलजिन्दर पाल, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, भभुआ जिला–कैमूर

[निर्णय तिथिः–15.04.2026]

[सत्र विचारण क्रमांक–282/2025, सी0आई0एस0 क्रमांक–282/2025]

(रामगढ़ थाना, जिला–कैमूर के अपराध क्रमांक–169/2025 से उत्पन्न विशेष प्रकरण)

अभियोजक	बिहार राज्य द्वारा "V"(सूचिका/पिड़िता)
अभियोजन की ओर से	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम	1. दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार, पिता–स्व0 गुडुन बिन्द, उम्र–लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम–सहुका, थाना–रामगढ़, जिला–कैमूर।
अभियुक्त की ओर से	श्री अशोक कुमार राय, विद्वान अधिवक्ता।

फॉर्म–बी

घटना तिथि	08.04.2025
प्राथमिकी की तिथि	05.05.2025
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	15.07.2025
आरोप गठन की तिथि	03.11.2025
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	17.11.2025
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	10.04.2026
निर्णय तिथि	15.04.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का कमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धाराएं	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रकिया संहिता की धारा–428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार	07.05.2025	–	धारा–64, 351(3) बी0एन0एस0	दोषमुक्त	–	11 महीना 07 दिन

निर्णय

1. एक मात्र अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार के विरूद्ध धारा–64, 351(3) बी0एन0एस0 के तहत अपराध के आरोप में विचारण किया गया। चूंकि वाद यौन अपराध से संबंधित है। इसलिये सूचिका सह पिड़िता को अक्षर "V", उसके पिता एंव माता को कमशः "F", "M" अक्षर एवं गॉव को अक्षर "G" से संबोधित किया गया है।

2. सूचिका सह पिड़िता "V" इस प्रकार प्राथमिकी दर्ज कराया है कि ''दिनांक–08.04.2025 को लगभग शाम के 07:30 बजे सूचिका/पिड़िता अपने घर के नजदीक नहर के पास शौच के लिये गयी थी तो इसी बीच इन्हीं के गॉव के दिनेश बिन्द अपने साथी के साथ मिलकर जबरन

सूचिका/पिड़िता को नहर के पास टयूबेल के बगल में ले जाकर इनके साथ दुष्कर्म किये और अपने मोबाईल से विडियों बनाये। इसके बाद दिनेश इनको लगातार फोन करके गलत संबंध बनाने का दबाव देने लगे जिसकी जानकारी सूचिका/पिड़िता ने अपने परिजन को दी तो दिनेश के परिजन को बुलाकर आपसी समझौता का बात किया गया लेकिन दिनांक–02.05.2025 से फिर दिनेश सूचिका/पिड़िता को फोन करके जबरन गलत संबंध बनाने का दबाव दे रहे थे और कह रहा था कि गलत संबंध नहीं बनाने पर विडियों वायरल कर देंगें और घर में घुसकर तुम्हारे और तुम्हारे परिजनों के साथ मार–पीट करेंगें जिसके कारण सूचिका/पिड़िता एवं इनका पूरा परिवार डरा सहमा है।''

सूचिका सह पिड़िता "V" का उक्त आवेदन के आधार पर एक मात्र अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार के विरूद्ध धारा–64, 3(5) बी0एन0एस0 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषणोपरान्त एक मात्र अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार के विरूद्ध धारा–64, 351(2)(3), 3(5) बी0एन0एस0 के तहत पूरक आरोप पत्र सं0–232/2025, दिनांक–26.06.2025 को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र के आधार पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–द्वितीय द्वारा एक मात्र अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार के विरूद्ध अपराध का संज्ञान दिनांक–28.08.2025 को लिया गया तथा एक मात्र अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार के विरूद्ध धारा–64, 351(2)(3) सह पठित धारा–3(5) बी0एन0एस0 के तहत अपराध के विचारण हेतु पर्याप्त सामग्री पाए जाने पर उनके विरूद्ध अपराध के विचारण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

4. एक मात्र अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार के विरूद्ध दिनांक–03.11.2025 को धारा–64, 351(3) बी0एन0एस0 के अंतर्गत आरोप गठित कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त द्वारा आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक–17.03.2026 को एक मात्र अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उनका कथन लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होने का दावा किया और बचाव में किसी प्रकार का साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6. इस प्रकार इस विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष एक मात्र अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

विनिश्चय (Finding)

7. इस वाद विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल छः साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, अभियोजन साक्षी संख्या–01 "F", अभि0सा0सं0–2 "V" (सूचिका/पिड़िता), अभि0सा0सं0–3 "M", अभि0सा0सं0–4 डॉ0 अम्बेर(चिकित्सीक पदाधिकारी), अभि0सा0सं0–5 डॉ0 विन्ध्याचल सिंह (चिकित्सीक पदाधिकारी) एवं अभि0सा0सं0–6 सोनम कुमारी(अशोक प्रसाद साह) का परीक्षण कराया गया है।

बचाव पक्ष द्वारा इस मामले में न्यायालय के समक्ष कोई भी मौखिक या दस्तावजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या–01, "F" ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''**घटना**

लगभग 5–6 महीना पूर्व की है। "V" मेरी बेटी है और मेरी बेटी "V" ने ही यह मुकदमा दर्ज करवाई है। घटना के दिन मैं अपने गॉव नहीं था तो गॉव वालों ने मेरी बेटी से कहकर यह मुकदमा कर दिया। मुकदमा किसलिये मेरी बेटी ने करवाया था मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूॅ। मेरी बेटी "V" के साथ किसी प्रकार का घटना नहीं घटा है। पुलिस के यहॉ मेरा बयान नहीं हुआ था। आज न्यायालय में दिनेश बिन्द उपस्थि है जिन्हें मैं पहचानता हूॅ।'' और अभियोजन द्वारा अभि0सा0सं0–01 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''मुदालय दिनेश बिन्द मेरा भतीजा है। जो मुकदमा ग्रामीण लोग मेरी बेटी "V" से करवा दिये थे, उसपर क्या लिखा था इसकी जानकारी न तो मेरी बेटी "V" को था और न ही मुझे था। मुदालय दिनेश बिन्द मुझे एवं मेरी बेटी को कभी भी किसी प्रकार का कोई धमकी नहीं दिये है और न ही कोई दुष्कर्म किये है। जब मुझे जानकारी हुयी कि गलत तथ्यों पर मुकदमा दर्ज हो गया है तब मैं न्यायालय में आकर सुलहनामा दाखिल किया जिसपर मेरा एवं मेरी बेटी "V" का फोटो एवं हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूॅ।''

9. अभियोजन साक्षी संख्या–02, "V" **(सूचिका/पिड़िता)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''यह मुकदमा मेरे द्वारा दिनेश बिन्द के विरूद्ध किया गया है। घटना लगभग 7–8 महीना पूर्व की है। समय लगभग रात्रि 07:00 बजे की है। उस समय मैं शौच करने नहर के तरफ गयी थी। मेरे साथ किसी प्रकार की घटना नहीं घटी थी। थाना पर मैंने लिखित आवेदन दिया था जिसपर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानती हूॅ जो मेरे द्वारा नहीं लिखा गया था। साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को **प्रदर्श–पी–1/पी0डब्लू0–2** के रूप में अंकित किया जाता है। पुलिस के यहॉ मेरा बयान हुआ था। मजिस्ट्रेट के समक्ष मेरा बयान हुआ था जिसपर मेरा अंगूठा का निशान है जिसे मैं पहचानती हूॅ। मैं मुदालय दिनेश बिन्द को पहचानती हूॅ।'' और अभियोजन द्वारा अभि0सा0सं0–02 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''जो आवेदन थाना पर दिया गया था, उसपर क्या लिखा था इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वह आवेदन मेरे परिजनों की जानकारी में नही दिया गया था। अभियुक्त दिनेश बिन्द मेरा चचेरा भाई है इसलिये मैं इसे पहचानती हूॅ। अभियुक्त दिनेश बिन्द कभी भी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। जब इस मुकदमा की जानकारी मेरे परिजनों को लगी तो वह न्यायालय में आकर सुलहनामा दाखिल किये जिसपर मेरा हस्ताक्षर एवं फोटो लगा है जिसे मैं पहचानती हूॅ। मैं हमेशा हस्ताक्षर करती हूॅ, निशान नहीं लगाती हूॅ। पुलिस के समक्ष मैंने दिनेश बिन्द के द्वारा गलत काम करने संबंधित बात नहीं कही है। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के दौरान मैंने क्या कहा था, मुझे याद नहीं। दिनेश बिन्द के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। मुदालय दिनेश बिन्द या दिनेश बिन्द की मॉ से कोई विवाद या झगड़ा–झंझट नहीं है। न्यायालय के समक्ष मैंने आज सही बात कहा है। मैंने किसी के दबाव में आकर बयान नहीं दिया है, मैं आज न्यायालय में अपनी स्वेच्छा से बयान दी हूॅ। घटना के समय मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी। मेरी जन्म तिथि–01.01.2007 की है। मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ी–लिखी हूॅ।''

10. अभियोजन साक्षी संख्या–03, "M", ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''यह घ टना आज से लगभग तीन–चार महीने पूर्व का है। "V" मेरी पुत्री है। मेरी पुत्री "V" के साथ कुछ नहीं हुआ था। मेरे पति मुकदमा कर दिये है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरा पुलिस के यहां बयान नहीं हुआ था। आज न्यायालय दिनेश बिन्द उपस्थित है, जिसे मैं पहचानती हूॅ।'' और अभियोजन द्वारा अभि0सा0सं0–03 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''मेरी पुत्री से गलत मुकदमा करा दिया गया था। दिनेश बिन्द मेरा भतीजा लगता है। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है। वास्तविकता की जानकारी होने के बाद लिखित सुलहनामा दाखिल किया गया है। न्यायालय में आकर मेरे पति एवं मेरी पुत्री ने भी लिखित सुलहनामा दाखिल किया है। मेरी बेटी ने मुझसे यह कभी नहीं बताया है कि उसके साथ गलत काम हुआ था।''

11. अभियोजन साक्षी संख्या–04, **डॉ0 अमबेर जो इस कांड के चिकित्सीक पदाधिकारी है,** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''I examined "V", D/o- "F", Village -"G" at 02:40 pm on 06/05/2025 at Sub Divisional Hospital, Mohania vide Emergency No-E/2668/06/05/2025. The alleged survivor brought to the hospital by Sonam Kumari ASI and Anju Tiwari No. 41 chaukidar P.S-Ramgarh. The written consent of the alleged survivor for medical examination has been taken. She is normal and cooperative. She had her menarche about four years back. Her last menstrual period (LMP) is 01/05/2025.

<u>Short History-</u>

(i) About on month back, she went to nearby field to attend her natural call in the evening at about 07:00 pm. Dinesh Bind S/O Late Budhan Bind cought her and took her to near canal.

(ii) He started slapping on her cheeks there. He overpowered her and forcibly tried to penetrate in her private part. This is the sequence of events as narrated by alleged survivor.

<u>Examination-</u>

There is no evidence of any physical injury in and around vulva and on other body part.

There is no evidence of any staining on her body parts or clothings.

The vulval, the vaginal and the anal swab taken and sent immediately to Dr. Vijay Kumar Singh, Medical Deputy superintendent SDH, Mohania for microscopic examination and the report.

<u>The report points out vulval-</u>vulval-pus cells-01-02-/HPF, Epithelial cells-01-02-/HPF, Erythrocytes (RBC)-00-02/HPF Spermatozoa- live or dead not seen. Vaginal- pus cells-02-04-/HPF, Epithelial cells-02-05-/HPF, Erythrocytes-07-15/ HPF, Spermatozoa live or dead not seen. Anal Nil, Epithelial cells-02-/HPF, Erythrocytes (RBC)- Nil, Spermatozoa - live or dead not seen. The urine pregnancy test is negative. There is no evidence of recent intercourse and any physical injury. The consent letter, the report of microscopic examination and the requisition slip form P.S-Ramgarh handed over to the police. M.I: (i) A mole at the lower border of the angle of the left mandible.

(ii) A mole on the left side of the base of the neck above left clavicle.

This medical report is prepared by me and bears my Signature which is marked as Exhibit-**P2/PW-4.** On the basis of above clinical and radiological findings, the age of

the Victim was assessed in between 17 to 19 years (seventeen to nineteen) approximately. Determination of age was assessed by medical board consisting of Dr. Arun Singh (Dentist), Dr. Vindhyachal Singh(Medical Officer) and by me and bears their signature on the age determination report. The age determination report is prepared on our joint observations and the same is typed copy, I identify my signature on the report and also identify the signatures of the Dr. Arun Singh (Dentist), Dr. Vindhyachal Singh(Medical Officer). On the request of Ld. A.P.P, the age determination report is marked as Exhibit-**P3/PW-4** and my signature on the age determination report is marked as Exhibit-**P3/1/PW-4.** I also identify the signature of Dr. Arun Singh (Dentist) on the age determination report which is marked as Exhibit-**P3/2/PW-4."**

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''जो पिड़िता से मैंने घ टना के संबंध में पूछ–ताछ किया था, उसके आलोक में मैंने पिड़िता का कोई हस्ताक्षर नहीं लिया था क्योंकि Hisotry Narration में ऐसा नहीं कराया जाता है। पिड़िता के कथनानुसार घटना एक महीना पहले की थी इसलिये पिड़िता के साथ बलात्कार करने का साक्ष्य physcial and clinical examination में नहीं आया। It is correct that in medical examination report of the victim i.e exhibit-P2/PW-4, it is recorded as per disclosure of the victim "he started slapping on her cheeks there. He overpowered her and forcibly tried to penetrate in her private part. This is the sequence of events as narrated by alleged survivor." ऐसी बात नहीं है कि मेरा मेडिकल रिपोर्ट साईटीफिक नहीं है।''

12. अभियोजन साक्षी संख्या–05, डॉ0 विन्ध्याचल सिंह जो इस कांड के चिकित्सीक पदाधिकारी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''Name and address of victim:- "V" D/o "F", Village-"G" Date and place of examination: On 06/05/2025 at 02:33 pm at SDH Mohania. M.O.I:- Mole on left cheek below left ear. Physical examination:- Body build average. Dental status:- Upper teeth 12, Lower teeth-14. Radiological examination:- All advised X ray done at SDH Mohania on 06/05/2025.

(i) X-ray both wrist AP and Lat view plate no ECT 5016 showing epiphysis at lower end of radius and ulna fused completely.

(ii) X-ray both elbow AP and lay view plate no ECT 5016 showing epiphysis of elbow joint fused.

(iii) X-ray pelvis AP view plate No ECT 5016 showing crest of ilium about to fused to ilium.

Opinion:- On the basis of above clinical and radiological finding of the age of Victim "V" is in between 17 to 19 years (seventeen to nineteen) approximately.

She come here with ASI Sonam Kumari Ramgarh P.S with Anju Tiwari constable batch No.41, alongwith her mother for medical, she alongwith her mother gave written consent for medical by medical board.

Enclosures:- X-ray plate of B/L wrist B/L elbow and pelvis.

The age determination report is prepared on our joint observations and the same is typed copy, I identify my signature on the report and also identify the signatures of the Dr. Arun Singh (Dentist), Dr. Amber (Medical Officer). The signature on the age determination report of mine is marked as Exhibit-**P3/3/PW-5.** I also identify the Signature of Dr. Arun Singh (Dentist) on age determination report which is already marked as Exhibit-**P3/2/PW-4."**

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''मेडिकल बोर्ड ने पिड़िता का उम्र संबंधित जॉच किया है। मेडिकल बोर्ड ने जॉच करने के उपरान्त पाया है

पिड़िता का उम्र लगभग 17–19 वर्ष के बीच में है।''

13. अभियोजन साक्षी संख्या–06, सोनम कुमारी जो इस कांड की अनुसंधानकर्ता है, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''मैं 05.05.2025 को रामगढ थाना में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हूँ। सूचिका **"V"** के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर रामगढ़ थाना कांड संख्या–169/2025 दिनांक 05.05.2025 अंतर्गत धारा 64/3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज हुआ। लिखित प्रतिवेदन के हांसिये में थानाप्रभारी जयप्रकाश पूर्वे द्वारा कांड का अनुसंधान मुझे सौपा गया था। पृष्ठांकन पर प्रभारी थानाध्यक्ष जयप्रकाश पूर्वे के हस्ताक्षर है जिसे मै पहचान रही हूँ। इसे प्रदर्श–**P4/PW6** अंकित किया गया। उसी लिखित प्रतिवेदन के आधार पर औपचारिक प्राथमिकी तैयार किया गया है जिस पर प्रभारी थानाध्यक्ष जयप्रकाश पूर्वे का हस्ताक्षर है जिसे मै पहचान रही हूँ। इसे प्रदर्श–**P5/PW6** अंकित किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान का भार मुझे मिला था। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के बाद मैने वादिनी **"V"** का पुनः बयान लिया। इसके बाद घटनास्थल के निरीक्षण के लिये प्रस्थान की। इस कांड का घटनास्थल की चौहद्दी – उत्तर में बिगू बिन्द का परती जमीन, दक्षिण में बलिस्टर तिवारी का परती जमीन, पूरब में अरूप सिंह का परती जमीन और पश्चिम में भी अरूप सिंह का परती जमीन है। घटनास्थल पर उपस्थित प्रभु बिन्द, उनकी मां कुन्ति देवी का बयान लिया। मुदालय के घर पर छापामारी की। दिनांक 06.05.2025 को वादिनी का 180 बी0एन0एस0एस0 के तहत बयान ली। इसके बाद चिकित्सकीय जॉच हेतु अनुमंडलीय अस्पताल मोहनियॉ ले गयी जहां उसका ईलाज हुआ। इसके बाद थाना वापस आयी। इसके बाद गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त अपने घर पर है। गुप्त सूचना के आधार पर मैने उनके घर छापामारी हेतु प्रस्थान की। छापामारी के क्रम में अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। अभियुक्त को अपने साथ के सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। अभियुक्त को थाने पर लाये। अभियुक्त के पॉकेट से वन प्लस का मोबाईल फोन बरामद हुआ जिसकी जब्ती सूची बनायी गयी। जब्ती सूची मेरी लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, मै अपनी लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचान रही हूँ। इसे प्रदर्श–**P6/PW6** अंकित किया गया। अभियुक्त का सफाई बयान दिनांक 07.05.2025 को ली। उसी दिन पीड़िता का न्यायालय में 183 बी0एन0एस0एस0 के तहत बयान करायी। पीड़िता को माता के जिम्मेनामे पर उनको दे दिया गया। इसके बाद अभियुक्त को मंडल कारा भभुआ भेजा गया। इसके बाद वरीय पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त हुआ। अज्ञात व्यक्तियों के लिये गुप्तचर तैनात किया। जब्त मोबाईल का जॉच हेतु एफ0एस0एल0, पटना भेजा। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार और साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर घटना को सत्य पाते हुये मैने आरोप पत्र सं0–232/25 दिनांक 26.06.2025 धारा 64/351(2)(3)/5 बी0एन0एस के अंतर्गत अभियुक्त दिनेश बिन्द के विरूद्ध समर्पित की। आरोप पत्र मेरी लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। मै अपनी लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचान रही हूँ। इसे प्रदर्श–**P7/PW6** अंकित किया गया।पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त किया और केस डायरी में संलग्न किया।''

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि '' इस घटना के एक साल पहले मै रामगढ़ थाना में पदस्थापित थी। तथाकथित घटनास्थल पर मै घटना से पूर्व चार–पॉच बार जा चुकी हूँ। जिस समय वादिनी थाना पर आयी थी उस समय मै थाने पर थी। आवेदन मेरी उपस्थिति में नहीं लिखी मिला था। घटनास्थल की चौहद्दी में जिन लोगो का नाम लिया है उन लोगो का मैने बयान नहीं लिया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया है। वादिनी और अभियुक्त में किस बात को लेकर विवाद था इसका अनुसंधान मैने नहीं किया है। जब्त किया गया मोबाईल आज मेरे समक्ष नहीं है। साक्षियों का बयान लेने का समय एवं तिथि केस डायरी में अंकित नहीं किया है। जब्त मोबाईल से भी इस केस के संबंध में कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं पाया गया। तथाकथित घटना की तिथि और प्राथमिकी दर्ज होने में देरी का कारण मैने दर्ज नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैने इस केस का जांच सही से नहीं किया है और टेबूल रिपोर्ट तैयार किया है। ऐसी बात नहीं है कि वरीय पदाधिकारी के पर्यवेक्षण के आधार पर गलत आरोप पत्र दाखिल किया है। यह कहना गलत है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है।''

जब अभि0सा0संस0–6 से न्यायालय द्वारा प्रश्न किया गया तो इस साक्षी ने कहा कि ''जैसा मैने बयान प्रतिपरीक्षण के पारा सं0–14 में दिया। घटनास्थल पर नहीं गयी बल्कि घटनास्थल के पास पुल है तथा गश्ती के दौरान कभी कभी गाड़ी लगाती थी इसलिये मैने कहा है। मै प्रशिक्षु पदाधिकारी हूँ इसलिये भूलवश कह दिया कि घटनास्थल पर गयी थी। जहां गाड़ी लगाती थी वहां से कुछ ही दूर 50 मीटर पर घटनास्थल है। जो अभियुक्त के कब्जा से वन प्लस मोबाईल मेरे द्वारा बरामद किया गया था उसक एफ0एस0एल0 रिपोर्ट अभी तक मैने बरामद नहीं किया गया। (आई0ओ0 को न्यायालय द्वारा

निर्देश दिया जाता है कि अपने संबंधित पुलिस अधिक्षक के माध्यम से एफ0एस0एल0 रिपोर्ट अतिशीघ्र दाखिल करें।) मैने अभियुक्त से बरामद फोन को नहीं चलाया और नही यह ज्ञात करने की कोशिश कि उसमें कोई आपत्तिजनक चीज थी या इस कांड से संबंधित कोई आपत्तिजनक फोटो थी। मोबाईल लॉक था। मेरे द्वारा अभियुक्त से मोबाईल खोलवाने के लिये नहीं कहा गया। मेरे थानाध्यक्ष या सुपरवाईजिंग ऑथेरिटी प्रदीप कुमार द्वारा भी यह दिशा निर्देश नहीं दिया गया कि कथित मोबाईल एफ0एस0एल0 रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करनी है। इस धटना में अभियुक्त के अलावा दूसरे व्यक्ति जो कथित रूप से अभियुक्त के साथ मिलकर दुष्कर्म करने का आरोप है, की पहचान या के बारे में अभी तक अनुसंधान के कम में कुछ पता नहीं चला। कथित घटनास्थल जॉच के कम में सरकारी ट्यूबवेल पता चला था लेकिन सरकारी ट्यूबवेल पर कोई ऑपरेटर वगैरह नियुक्त नहीं था और नही किसी के बारे में पता चला। पीड़िता का जन्म प्रमाण के लिये मैने उत्क्रमित +2 उच्च माध्मिक विद्यालय, साहुका, रामगढ़ कैमूर से प्रधानाध्यापक से संपर्क किया जिन्होंने रिकॉर्ड से पीड़िता की उम्र के संबंध में जन्मतिथि 01.01.2007 अपने स्कूल के लेटर पैड पर लिखकर दिया जो कांड दैनिकी के साथ संलग्न है, जिसे प्रदर्श–**C1/PW6** अंकित किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षण का मौका दिया गया। अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।''

14. उपरोक्त छः अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में करावाया गया और दिनांक–07. 03.2026 को अभियोजन के अनुरोध एवं आवेदन के आधार पर अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया।

15. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा समर्पित किया गया कि इस मुकदमा में सूचिका सह पिड़िता द्वारा दिनांक–08.04.2025, समय लगभग 07:30 बजे, घर के नजदीक नहर के पास शौच करने के लिये बाहर जाने के दौरान विचाराधीन अभियुक्त एवं उसके एक साथी के द्वारा जबरन नहर के पास टयूबेल के बगल में दुषकर्म करने एवं विडियो बनाने का आरोप प्राथमिकी आवेदन में लगाया है और उसी विडियो को आधार बनाकर दुबारा गलत संबंध बनाने के लिये सूचिका सह पिड़िता पुनः दिनांक–02.05.2025 को दबाव बनाया जाने लगा जिसका सूचिका ने यह मुकदमा दर्ज कराया और सूचिका ने अपने न्यायालय में दिये अभियोजन साक्षी सं0–02 के रूप में यह मानी है कि वह लगभग सात बजे शौच के लिये नहर के तरफ गयी थी और उक्त घटना के संबंध में इसने लिखित आवेदन थाना पर दिया था जिसके आधार पर यह कांड दर्ज हुआ और सूचिका ने लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श–पी–1/पी0डब्लू0–2 पहचान किया है और सूचिका द्वारा यह भी बयान न्यायालय में दिया कि उसने विद्वान मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष भी बयान दिया था जिसपर उसके अंगूठा का निशान है। सूचिका ने अभियुक्त को पहचान किया है और कांड के अनुसंधानोपरान्त, अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया था और कथित घटनास्थल का सत्यापन किया था लेकिन विचारण के दौरान सूचिका सह पिड़िता और उसके माता–पिता जो इस कांड के साक्षी है, ने अपने पूर्व से दिये बयानों का बचाव पक्ष के मेल में आकर समर्थन नहीं किया क्योंकि अभियुक्त सूचिका का चचेरा भाई एवं उसके पिता का भतीजा है और उपरोक्त संदर्भ में चूंकि अभियोजन द्वारा प्राथमिकी को सिद्ध किया गया है और सूचिका ने यह माना है कि उसने प्राथमिकी आवेदन दाखिल किया था और कथित घटनास्थल का सत्यापन अनुसंधानकर्ता द्वारा किया गया है, इसलिये इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है और अभियुक्त को दोषसिद्ध करार दिया जाये।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहश के दौरान समर्पित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य में यह आया है कि अभियुक्त कथित पिड़िता का चचेरा भाई है और अभियुक्त के पिता जी नहीं है और सिर्फ अपनी माता के साथ रहता है और दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद है इसलिये यह मुकदमा दर्ज करवाया गया था। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी समर्पित किया गया कि कथित घटना दिनांक–08.04.2025 समय लगभग 07:30 बजे की बतायी जाती है जिसमें एक अन्य व्यक्ति का भी जिक्र किया गया है लेकिन उक्त व्यक्ति के बारे में न तो सूचिका या उसके परिवार वालों के द्वारा कोई पहचान या कोई जानकारी दी गयी और न ही अनुसंधानकर्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर लाया गया जबकि सच्चाई यह है कि सूचिका का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रहा होगा जिसकी जानकारी अभियुक्त को भी, क्योंकि

अभियुक्त सूचिका का चचेरा भाई है और जब उसने कोई आपत्ति की तो कृत्रिम कहानी बनाकर विचाराधीन अभियुक्त के विरूद्ध ही यह मुकदमा दर्ज करवा दिया और जब अभि0सा0सं0–1 एवं 3 जो सूचिका के माता–पिता है, को अभियुक्त के निर्दोष होने का पता चलता है तो दोनों पक्षों में सुलह हो गया और इसलिये सुलहनामा भी अभिलेख पर दिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन साक्ष्य के गुण–दोष के आधार पर समर्पित किया गया कि इस कांड में अभियोजन द्वारा कथित घटना के लगभग एक महीना बाद मुकदमा दर्ज करवाने के देरी संबंधी कोई स्पष्टीकरण नहीं है और यदि अभियुक्त से जप्त कथित मोबाईल में कोई ऐसी घटना का विडियों बनाया गया था, जो कथित तौर पर अनुसंधानकर्ता द्वारा जप्त किया गया है, तो क्यों अनुसंधानकर्ता द्वारा कथित मोबाईल को चालू कर ऐसी संबंधित विडियों बारे पता नहीं लगाया गया और क्यों न्यायालय द्वारा अनुसंधानकर्ता को उनके परीक्षण के दौरान निर्देश देने के बावजूद, कथित मोबाईल संबंधित एफ0एस0एल0 रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही कोई डिसपैच नंबर वगैरह न्यायालय में दाखिल किया गया जिसको न्यायालय का कार्यालय कथित एफ0एस0एल0 रिपोर्ट को मंगवा सकता। विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः समर्पित किया गया कि न्यायालय में परीक्षण के दौरान न तो सूचिका ने और न ही उसके माता–पिता ने कथित घटना का समर्थन किया और न ही अभि0सा0सं0–4 एवं 5 जो चिकित्सक है, ने कोई साक्ष्य कथित पिड़िता के साथ यौन अपराध करने बारे उल्लेख नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि कथित पिड़िता के साथ विचाराधीन अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया और पिड़िता का चिकित्सीय जॉच में उसकी उम्र 17–19 वर्ष पायी गयी है और पिड़िता ने भी अपने बयान में कहा है कि उसकी जन्म तिथि–01.01.2007 है, पिड़िता एवं उसके परिवार वालों के द्वारा कृत्रिम घटनाक्रम बनाकर विचाराधीन अभियुक्त को इस कांड में नामित किया इसलिये इस कांड के विचाराधीन अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया जाये।

17. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से अभिलेख पर मात्र यह तथ्य सिद्ध हुआ है कि इस कांड की सूचिका सह पिड़िता द्वारा एक लिखित आवेदन दिनांक–05.05.2025 थाना प्रभारी, रामगढ़ के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक–08.04.2025 को समय लगभग 07:30 बजे घर के नजदीक नहर के पास शौच के लिये जाने के दौरान अभियुक्त एवं उसके एक साथी द्वारा नहर के पास टयूबेल के बगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का एवं मोबाईल से विडियों बनाने का आरोप लगाया गया है और इसी को आधार बनाकर लगातार संबंध बनाने का दबाव बनाना और दिनांक–02.05.2025 को फिर फोन करके जबरन संबंध बनाने के लिये दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है लेकिन जब आरोप गठनोंपरान्त कथित पिड़िता का अभि0सा0सं0–2 के रूप में परीक्षण हुआ तो उसने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कहा कि उसने यह मुकदमा दिनेश बिन्द के विरूद्ध किया है, घटना लगभग 7–8 महीना पूर्व की है, उस समय लगभग रात्रि के सात बजे थे, वह शौच करने नहर के तरफ गयी थी, उसके साथ किसी प्रकार की घटना नहीं घटी थी और जो आवेदन उसने दिया है उसपर उसका हस्ताक्षर जो प्रदर्श–पी–1/पी0डब्लू0–2 है और पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान हुआ था, वह दिनेश बिन्द को पहचानती है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घ ोषित किया गया और उसने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि जो उसने थाना पर आवेदन दिया था, उसमें क्या लिखा था, उसे जानकारी नहीं है, वह आवेदन उसके परिजनों के जानकारी में नहीं दिया गया था, दिनेश बिन्द ने कभी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया है और जब मुकदमा की जानकारी उसके परिजनों की हुयी तो न्यायालय में सुलहनामा दाखिल कर दिया है जिसपर सूचिका का हस्ताक्षर एवं फोटो लगा है, सूचिका ने यह भी प्रतिपरीक्षण के दौरान कहा कि उसने पुलिस के समक्ष दिनेश बिन्द द्वारा कोई गलत काम करने संबंधी बात नहीं कही और मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसने क्या बयान दिया था, उसे याद नहीं।

अभि0सा0सं0–1 जो पिड़िता सह सूचिका "V" के पिताजी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में यहॉ तक कहा कि घटना के दिन वह अपने गॉव पर नहीं था और गॉव वालों ने उसकी बेटी "V" से यह मुकदमा करवा दिया, मुकदमा किस लिये करवाया, इसी उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि वह पढ़ा–लिखा नहीं है और उसकी बेटी "V" के साथ कोई घटना

नहीं घटी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि मुकदमा ग्रामीण लोग उसकी बेटी से करवा दिये थे, उसपर क्या लिखा था उसकी जानकारी न तो उसे है और न ही उसकी बेटी “V” को है और अभियुक्त द्वारा उसकी बेटी “V” को कभी कोई धमकी नहीं दिया गया और न ही कोई दुष्कर्म किया गया और जब उसे जानकारी हुयी कि मुकदमा गलत तथ्यों पर दर्ज हो गया तो उसने न्यायालय में सुलहनामा दाखिल कर दिया।

अभि0सा0सं0–3 जो कथित पिड़िता सह सूचिका “V” के माताजी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उसकी पुत्री “V” के साथ कुछ नहीं हुआ था, साक्षी के पति ने यह मुकदमा कर दिया, इसकी उसे जानकारी नहीं है और पुलिस के समक्ष उसका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया और साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी कहा कि उसकी पुत्री “V” से गलत मुकदमा करवा दिया गया था, अभियुक्त उसका भतीजा लगता है जिसके पिता की मृत्यु हो गयी और वास्तविकता की जानकारी होने के बाद लिखित सुलहनामा साक्षी के पति एवं पुत्री “V” के द्वारा दाखिल किया गया और उसकी बेटी “V” ने साक्षी को कभी नहीं बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ है।

अभि0सा0सं0–4 डॉ0 अम्बेर द्वारा अपने बयान के कंडिका सं0–14 में स्पष्ट कहा कि पिड़िता “V” के कथानानुसार कथित घटना एक महीना पहले की थी इसलिये पिड़िता के साथ बलात्कार करने का साक्ष्य Physcial and Clinical Examination में नहीं आया।

अभि0सा0सं0–5 डॉ0 विन्ध्याचल सिंह ने सिर्फ पिड़िता सह सूचिका की उम्र 17–19 वर्ष होने का साक्ष्य दिया है।

अभि0सा0सं0–6 जो इस कांड की अनुसंधानकर्ता है जिसने सिर्फ अनुसंधान के क्रम में अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य दर्ज करने, कथित घटनास्थल का निरीक्षण करने एवं अभियुक्त से जप्त मोबाईल को एफ0एस0एल0, पटना भेजने बारे और आरोप पत्र दाखिल करने बारे मुख्य परीक्षण में बयान दिया है लेकिन साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कहा कि उसने घटनास्थल की चौहद्दी में जिन लोगों का नाम लिया है, इस कांड के संबंध में उनलोगों का बयान नहीं लिया और न ही अभियुक्त का अपराधिक इतिहास पाया और इस बात का भी अनुसंधान नहीं किया कि अभियुक्त और वादिनी के बीच किस बात को लेकर विवाद था, उसने कांड के कथित साक्षियों का बयान लेने का समय एवं तिथि कांड दैनिकी में अंकित नहीं किया और जप्त मोबाईल से भी इस केस के संबंध में कोई प्रमाणित तथ्य नहीं पाया और न ही तथाकथित घटना और प्राथमिकी देरी से दर्ज होने का कारण अंकित किया। अभि0सा0सं0–6 से न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर बताया कि उसने कथित मोबाईल फोन को चालू नहीं किया और न ही यह ज्ञात करने की कोशिश की कि उसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री थी या इस कांड से संबंधित कोई आपत्तिजनक फोटो था और न ही उसने अभियुक्त से मोबाईल खोलवाने के लिये कहा क्योंकि न तो उसके थानाध्यक्ष ने और न ही पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा यह निर्देष किया गया था कि कथित मोबाईल का एफ0एस0एल0 रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करे। अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय द्वारा किये गये प्रश्न पर यह भी कहा कि दूसरे व्यक्ति जो कथित तौर पर अभियुक्त क साथ मिलकर दुष्कर्म करने में शामिल था, की पहचान या उसके बारे में अभी तक अनुसंधान के क्रम में कुछ पता नहीं चला। न्यायालय द्वारा अनुसंधानकर्ता को अभियुक्त के कथित जप्त मोबाईल के संबंध में एफ0एस0एल0 रिपोर्ट अपने संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त कर न्यायालय में शीघ्र दाखिल करने का आदेश दिया गया था लेकिन न तो अनुसंधानकर्ता द्वारा और न ही पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई एफ0एस0एल0 रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित किया गया और विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा भी दिनांक–16.02.2026 को दिये गये उपरोक्त निर्देश अनुसंधानकर्ता के परीक्षण के दौरान दिये जाने के बावजूद, अभिलेख को बहश पर निर्धारण होने तक, न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई मोबाईल का जॉच संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कथित विडियो रिकॉर्डिंग या धमकी देने बारे किसी मोबाईल कॉल का साक्ष्य अभिलेख पर आये।

उपरोक्त साक्ष्य के परीक्षण, निरीक्षण एवं विवेचना से स्पष्ट तौर पर यही प्रदर्शित

होता है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध गठित आरोप के संबंध में किसी भी प्रकार का, कोई भी विश्वसनीय मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया और अभियुक्त के विरूद्ध गठित आरोप सम्पूर्ण तौर से बुरी तरह असफल हुये है और तद्नुसार न्यायालय निम्नलिखित निर्णय पर पहुॅची है–

आदेश

18. परिणामस्वरूप एक मात्र अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार को साक्ष्य के अभाव में आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–64, 351(3) बी0एन0एस0 के आरोपों से ससम्मान **दोषमुक्त** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित दोषमुक्त व्यक्ति दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार, विचारण के दौरान मंडल कारा, भभुआ में काराधीन रहा है। कार्यालय लिपिक अविलंभ इस मुकदमा में दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार का दोषमुक्ति अधिपत्र जारी करें और जिला दण्डाधिकारी, कैमूर को निर्णय की प्रति को नियमानुसार प्रेषित करें और अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करवायें।

निर्णय कुल 13 पृष्ठों में है जो मेरे द्वारा लेखापित हस्ताक्षरित शुद्धित
एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।

ह0/–
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्या0–प्रथम,
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–15.04.2026

ह0/–
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्या0–प्रथम,
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–15.04.2026

रामगढ़ थाना कांड सं0–169/2025
सत्र विचारण निबंधन सं0–282/2025
दिनांक–15.04.2026
उपस्थितः–बलजिन्दर पाल
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, कैमूर(भभुआ)

राज्य बनाम् दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार

प्रतिकर/मुआॅवजा देने का आदेश–

दिनांक–15.04.2026

इस प्रकरण में क्योंकि सूचिका सह पिड़िता और कांड के दो मौखिक साक्षी जिसमें पिड़िता के माता और पिता सम्मिलित है, के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया और उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, परिणामस्वरूप अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार दोषमुक्त करार दिया गया है इसलिये न्यायालय द्वारा इस कांड में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकर/मुआॅवजा देने हेतु कोई अनुशंसा नहीं की जाती है।

ह0/–
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–15.04.2026

रामगढ़ थाना कांड सं0–169/2025
सत्र विचारण निबंधन सं0–282/2025
दिनांक–15.04.2026
उपस्थितः–बलजिन्दर पाल
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, कैमूर(भभुआ)

राज्य बनाम् दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार

फॉर्म–सी

अभियोजन/बचाव/न्यायालय सक्षियों की सूची

ए. अभियोजन

कमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0सा0संख्या–1	"F"	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–2	"V"	सूचिका/पिड़िता
अभि0सा0संख्या–3	"M"	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–4	डॉ0 अम्बेर	चिकित्सक पदाधिकारी
अभि0सा0संख्या–5	डॉ0 विन्ध्याचल सिंह	चिकित्सक पदाधिकारी
अभि0सा0संख्या–6	सोनम कुमारी	अनुसंधानकर्ता

बी. बचाव साक्षी, यदि कोई हो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
--	--	--

सी. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
--	--	--

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए. अभियोजन

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–पी–1/पी0डब्लू0–2	थाना पर दिये गये लिखित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को
2.	प्रदर्श–पी–2/पी0डब्लू0–4	मेडिकल रिपोर्ट पर डॉक्टर अम्बेर के हस्ताक्षर को
3.	प्रदर्श–पी–3/पी0डब्लू0–4	पिड़िता का उम्र निर्धारण संबंधी रिपोर्ट को
4.	प्रदर्श–पी–3/1/पी0डब्लू0–4	पिड़िता का उम्र निर्धारण संबंधी रिपोर्ट पर डॉक्टर अम्बेर के हस्ताक्षर को
5.	प्रदर्श–पी–3/2/पी0डब्लू0–4	पिड़िता का उम्र निर्धारण संबंधी रिपोर्ट पर डॉक्टर अरूण सिंह के हस्ताक्षर को
6.	प्रदर्श–पी–3/3/पी0डब्लू0–5	पिड़िता का उम्र निर्धारण संबंधी रिपोर्ट पर डॉक्टर विन्ध्याचल सिंह के हस्ताक्षर को
7.	प्रदर्श–पी–4/पी0डब्लू0–6	लिखित आवेदन के पृष्ठांकन पर प्रभारी थानाध्यक्ष जय प्रकाश के हस्ताक्षर को
8.	प्रदर्श–पी–5/पी0डब्लू0–6	औपचारिक प्राथमिकी पर प्रभारी थानाध्यक्ष जय प्रकाश के हस्ताक्षर को
9.	प्रदर्श–पी–6/पी0डब्लू0–6	जप्ती सूची पर अनुसंधानकर्ता के हस्ताक्षर को

10.	प्रदर्श–पी–7/पी0डब्लू0–6	**आरोप पत्र पर अनुसंधानकर्ता के हस्ताक्षर को**

बी. बचाव पक्ष

कमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
-	-	-

सी. न्यायालय प्रदर्श

कमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
-	-	-

डी. वस्तु प्रदर्श

कमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
-	-	-

ह0/–
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–15.04.2026